सत्यप्रतिलिपि आदेश पत्र दिनांक 18–10–2022 का जो कि न्यायालय पंकज शर्मा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कबीरधाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला–कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा आरक्षी केन्द्र कवर्धा के अपराध क्रमांक –759/2022, धारा–420 भारतीय दंड संहिता में प्रस्तुत जमानत आवेदन क्र.–326/2022 में पारित किया गया है जिसके पक्षकार निम्नलिखित हैंः–

––––––––––––––––––––––––––––––

रामसिंह उर्फ विजय उर्फ टीटू वाधवा
पिता–मोता सिंह वाधवा, उम्र–50 वर्ष,
पेशा–संचालक, रानीसागर ढाबा एवं ट्रॉसपोटर
निवासी–बाजार पारा कवर्धा, थाना व तहसील
कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

.....आवेदक/अभियुक्त

// विरूद्ध //

छ.ग. शासन
द्वारा आरक्षी केन्द्र कवर्धा
जिला–कबीरधाम **.....अभियोजन**

––––––––––––––––––––––––––––––

18–10–2022 यह जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदया के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त।

आरक्षी केन्द्र कवर्धा के अपराध क्रमांक–759/2022, धारा–420 भारतीय दंड संहिता की केस डायरी मय जमानत विरोध पत्र प्राप्त ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री डी सी तिवारी अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री राजेश सोनी, अतिरिक्त लोक अभियोजक।

श्री डी सी तिवारी अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र में हुई लिपिकीय त्रुटि को सुधार कर पढ़े जाने बाबत एक अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख है कि अग्रिम जमानत आवेदन पत्र के पृष्ठ क्रमांक–02 की कंडिका–03 की दूसरी पंक्ति में लिपिकीय त्रुटिवश ₹ 50,00,000/–के स्थान पर ₹ 40,00,000/– उल्लेख हो गया है जिसे ₹ 50,00,000/– के रूप में पढ़ा जाए ।

उक्त आवेदन की पृष्ठभूमि में आवेदक /अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत् प्रस्तुत जमानत आवेदन का सार यह है कि आरक्षी केन्द्र कवर्धा द्वारा आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक – 759/2022, धारा–420 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया है जिसमें उसे गिरफ्तार करने की संभावना है । वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक एवं प्रार्थी एक ही समाज व बचपन के मित्र है । वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा की गयी नोटबंदी के समय प्रार्थी करनैल

सिंग ने पुराने नोट के रूप में ₹ 50,00,000/– की रकम खपाने के लिए आवेदक को दिया था जिसमें से कुछ समय बाद कुल ₹ 32,00,000/– विभिन्न अवसरों पर प्रार्थी को वापस कर दिए गए थे, शेष रकम ₹ 18,00,000/– कोविड समय काल के कारण व्यापार बंद हो जाने से वापस नहीं हो पाई थी और इसी रकम के सिलसिले में प्रार्थी ने आवेदक से रकम की सुरक्षार्थ एक औपचारिक इकरारनामा लिखाने की बात कही थी और भुगतान हो जाने पर इकरारनामा फाडकर फेक देने का आश्वासन दिया था जिस पर आवेदक ने प्रार्थी की बातों में आकर उसके रानी सागर ढाबा की 08 डिसमील जमीन को विक्रय करने का इकरारनामा निष्पादित कर दिया किंतु बाद में मालूम हुआ कि प्रार्थी ने उक्त इकरारनामा का दुरूपयोग किया है और जमीन खरीदने की बात कहकर इस हेतु इकरारनामा में लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नं.–195 के स्थान पर अंकित 175 का सहारा लिया जा रहा है । इस प्रकार प्रार्थी ने आवेदक के विरूद्ध झूठा मामला दर्ज कराया है । आवेदक समाज का प्रतिष्ठित व्यापारी है जिसे गिरफ्तार किए जाने से उसके सम्मान पर गहरा आघात लगेगा । आवेदक की कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है । आवेदक/ अभियुक्त आवेदन में दर्शित पते का स्थायी निवासी है जिसके जमानत उपरांत अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है । आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने को तैयार है । यह आवेदक का पहला अग्रिम जमानत आवेदन है इसके अतिरिक्त अन्य किसी सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो जमानत

लंबित है और नही निराकृत हुआ है । अतः उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में अभियुक्त की ओर से स्वयं का शपथपत्र पेश किया गया है।

संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रकरण में विवेचना अपूर्ण होना बताते हुए गवाहों को प्रभावित करने की आशंका व्यक्त कर इस स्तर पर जमानत का लाभ नहीं दिये जाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर प्रकृति का होना बताकर अग्रिम जमानत नहीं दिये जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष को सुना गया ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी का अवलोकन दर्शाता है कि प्रार्थी करनैल सिंग सलूजा ने आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय का लिखित शिकायत थाना प्रभारी कवर्धा के समक्ष प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त ने दिनांक 15–03–2022 को नोटरी कवर्धा के समक्ष गवाहों गुरूदीप सलूजा एवं सचिन अग्रवाल की उपस्थिति में खसरा नं.–175 की भूमि का उल्लेख कर विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादन किया था और दुल्लापुर ढाबा से लगी हुई जमीन दिखाकर सौदा किया था। उक्त सौदा के पेटे दिनांक 22–12–2021 को गवाहों के समक्ष अग्रिम राशि के रूप में ₹ 10,00,000/– प्रार्थी ने आवेदक/अभियुक्त को दिया था और इस संबंध में इकरारनामा में उल्लेख किया गया था किंतु बाद में यह पता चला कि विक्रय अनुबंध की गयी भूमि

का सही खसरा नं.–195 नहीं बल्कि 175 है और उसका रकबा मात्र पौने पांच डिसमील है शेष सवा तीन डिसमील भूमि शासकीय है । इस बारे में प्रार्थी ने जब आवेदक/अभियुक्त से बात की तो उसने विक्रय अनुबंध राशि 05 डिसमील के ही संबंध में लागू होने की बात कही जिस पर प्रार्थी ने उसके साथ छल कारित किये जाने के बारे में पुलिस थाना कवर्धा में शिकायत की ।

प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–420 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण कार्यवाही प्रारंभ की गयी है । प्रार्थी तथा विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादन के समय मौजूद साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए हैं जिनमें प्रार्थी द्वारा अभिकथित घटना की पुष्टि दर्शित हो रही है । आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन पत्र के माध्यम से विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादन के संबंध में भिन्न स्थिति दर्शित करने का प्रयास किया गया है किंतु यह अवलोकनीय है कि उक्त विक्रय अनुबंध पत्र नोटरी के समक्ष निष्पादित किया गया होना प्रकट हो रहा है । विक्रय अनुबंध पत्र में खसरा नंबर के रूप में 175 का उल्लेख किस साद्भाविक त्रुटि से हुआ है इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है । विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादन में प्रस्तावित विक्रय की जाने वाली भूमि के खसरा नंबर में मौजूद उक्त महत्वपूर्ण त्रुटि अपने आप में गंभीर स्थिति दर्शित कर रही है । प्रकरण में अन्वेषण कार्यवाही प्रारंभिक स्तर पर है । इन समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

फलतः आवेदक/ अभियुक्त रामसिंह उर्फ विजय उर्फ टीटू वाधवा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

आदेश की एक प्रति संबंधित आरक्षी केन्द्र को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए।

PANKAJ SHARMA
Digitally signed by PANKAJ SHARMA
Date: 2022.10.18 17:41:16 +0530

(पकज शर्मा)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कबीरधाम
के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

सत्यप्रतिलिपि:

01) आरक्षी केन्द्र प्रभारी, आरक्षी केन्द्र कवर्धा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

PANKAJ SHARMA
Digitally signed by PANKAJ SHARMA
Date: 2022.10.18 17:41:21 +0530

(पकज शमा)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कबीरधाम
के न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)